

भारत सरकार  
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय  
(खेल विभाग)  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 138**  
उत्तर देने की तारीख 21 जुलाई, 2025  
30 आषाढ़, 1947 (शक)

**जनजातीय युवाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देना**

**138. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी :**

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) सरकार द्वारा जनजातीय युवाओं में खेलों को बढ़ावा देने तथा जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या खेलो इंडिया या इसी तरह की योजनाओं के अंतर्गत कोई समर्पित जनजातीय खेल अकादमी चल रही है और यदि हां, तो तत् संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले जनजातीय खिलाड़ियों की संख्या कितनी है;
- (घ) जनजातीय क्षेत्रों में प्रदान की जा रही बुनियादी संरचना और कोचिंग सहायता का स्तर क्या है;
- (ङ) क्या जनजातीय खेलों में उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन उपलब्ध है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) क्या स्वदेशी जनजातीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए कोई रूपरेखा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**  
**युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री**  
**(डॉ. मनसुख मांडविया)**

(क) 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण जनजातीय युवाओं में जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान करने के साथ-साथ खेल संवर्धन सहित खेलों के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। केंद्र सरकार केवल महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय जनजातीय युवाओं में जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान करने के साथ-साथ देश में खेल संवर्धन के लिए निम्नलिखित स्कीमों और पहलों को कार्यान्वित करता है:

- (i) खेलो इंडिया- राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम;  
(ii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता;

- (iii) अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार;
- (iv) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार;
- (v) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन;
- (vi) पंडित दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण कोष;
- (vii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि; और
- (viii) भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केन्द्रों को संचालित करना।

उपरोक्त स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइटों पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

(ख) खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत, कुल 306 खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त अकादमियाँ चल रही हैं, जिनमें से कुछ में जनजातीय पृष्ठभूमि के खिलाड़ी भी शामिल हो सकते हैं। इन अकादमियों का विवरण <https://dashboard.kheloindia.gov.in> पर उपलब्ध है।

(ग) खिलाड़ियों का चयन सभी समुदायों में उनकी क्षमता के आधार पर किया जाता है। तथापि, इस मंत्रालय की स्कीमों के अंतर्गत पहचाने गए अधिकांश खिलाड़ी देश के जनजातीय क्षेत्रों सहित ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों से हैं और उन्हें विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत स्वीकृत मानदंडों के अनुसार नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस मंत्रालय में समुदाय-वार विवरण नहीं रखा जाता है।

(घ) सरकार ने समावेशी खेल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचना और कोचिंग सहायता को मज़बूत करने के लिए कई पहल की हैं। खेलो इंडिया स्कीम, राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) और राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता स्कीम के अंतर्गत, जनजातीय क्षेत्रों सहित खेल अवसंरचना, प्रशिक्षण सुविधाओं के निर्माण और उन्नयन तथा योग्य कोचों की तैनाती के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये स्कीमें गुणवत्तापूर्ण कोचिंग, खेल उपकरण, पोषण सहायता, आवास, यात्रा सहायता और वैज्ञानिक एवं चिकित्सा सहायता सहित यह सुनिश्चित करती हैं कि जनजातीय समुदायों के एथलीटों को उच्च-प्रदर्शन प्रशिक्षण के आवश्यक घटकों तक पहुँच प्राप्त हो।

(ड.) जी हाँ। जनजातीय समुदायों सहित चयनित एथलीटों को विभिन्न सरकारी स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस सहायता में विशेषज्ञ कोचिंग, खेल उपकरण, आवास और भोजन, खेल किट, प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर, शैक्षिक व्यय, बीमा, विविध व्यय और मासिक वजीफा शामिल हैं। ये लाभ संबंधित स्कीमों के अंतर्गत अनुमोदित मानदंडों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत, पहचाने गए एथलीटों, जिनमें जनजातीय पृष्ठभूमि के एथलीट भी शामिल हैं, को व्यापक सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक खेलो इंडिया एथलीट (केआईए) को प्रति वर्ष ₹6.28 लाख तक की धनराशि मिलती है। इस सहायता में विशेष प्रशिक्षण, विश्व स्तरीय सुविधाओं तक पहुँच, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी और ₹10,000 का मासिक आउट-ऑफ-पॉकेट भत्ता भी शामिल है।

(च) पारंपरिक और देशज खेलों, विशेष रूप से आदिवासी समुदायों द्वारा खेले जाने वाले खेलों को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए, इस मंत्रालय के तत्वावधान में एक स्वायत्त निकाय, भारतीय खेल प्राधिकरण (साई), राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी) के अंतर्गत देशज खेल और मार्शल आर्ट (आईजीएमए) नामक एक समर्पित उप-योजना लागू कर रहा है। इस पहल के माध्यम से, साई सिलंबम, कलारीपयतु, मलखंब, खोमलैनई, गतका, मुक्ना, थांग-ता और कबड्डी सहित विभिन्न पारंपरिक खेलों को समर्थन प्रदान करता है।

पारंपरिक और स्वदेशी खेलों, विशेष रूप से आदिवासी समुदायों द्वारा खेले जाने वाले खेलों को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए, इस मंत्रालय के तत्वावधान में एक स्वायत्त निकाय, भारतीय खेल प्राधिकरण (साई), राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी) के तहत स्वदेशी खेल और मार्शल आर्ट (आईजीएमए) नामक एक समर्पित उप-योजना को लागू कर रहा है।

इसके अलावा, खेलो इंडिया योजना के तहत, स्वदेशी खेलों को पुनर्जीवित और प्रोत्साहित करने के लिए "ग्रामीण/स्वदेशी एवं जनजातीय खेलों को बढ़ावा" नामक एक विशिष्ट उप-घटक शुरू किया गया है। यह घटक वर्तमान में कलारीपयतु, मलखंभ, गतका, योगासन और थांग-ता जैसे खेलों का समर्थन करता है।

इसके अलावा, इन खेलों को और बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने स्वदेशी खेल लीग की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी खेलों के लिए एक सुव्यवस्थित प्रतिस्पर्धी मंच तैयार करना है। इसी प्रयास के तहत, जनवरी और फरवरी के दौरान क्रमशः पटियाला और इम्फाल में गतका और थांग-ता में पहले स्वदेशी खेल लीग आयोजन सफलतापूर्वक आयोजित किए गए।

\*\*\*\*\*